ज० वि० आकार-पत्र–72

(नियम 257 देखिये)

चल सम्पत्ति के नीलाम का अधिपत्र

[1950 ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 282 देखिये]

(नीलाम का प्रचालन करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पदनाम)

आपको आज्ञा दी जाती है कि.....दिन की पूर्व नोटिस देने उसे (नोटिस) इस न्यायालय के भवन पर चिपका कर तथा यथावत घोषणा* करने के पश्चात् उस चल सम्पत्ति की नीलामी कर दें जो दिनांक.....20 ई० को इस न्यायालय द्वारा 'जारी किये गये अधिपत्र के अधीन'.....
[यहां पर बाकीदार का नाम, पिता का नाम और पता लिखिये] द्वारा.....

फसली वर्ष के निमित्त—
[यहां पर खाता खतौनी की संख्या और उस गांव (मौजा), परगना तथा जिले का नाम लिखिये जिसके सम्बन्ध में देय हो] के सम्बन्ध में देय मालगुजारी के लिये कुर्क कर ली गई है।

आपको यह भी आज्ञा दी जाती है कि आप यह अधिपत्र दिनांक..... 20 ई० को या उससे पहले इस आशय के अनुलेख सहित लौटा दें कि अधिपत्र का निष्पादन किस रीति से किया गया या क्यों नहीं किया गया।

मेरे द्वारा तथा इस न्यायालय की मुहर के साथ आज दिनांक..... 20 ई० को जारी किया गया।

मुहर

हस्ताक्षर.....

कलेक्टर या असिस्टेंट कलेक्टर

वसूल की जाने वाली धनराशि

1—देय मालगुजारी की धनराशि.....रु०

2—कुर्की का परिव्यय.....रु०

3—नीलाम का या सम्पत्ति का नीलाम न होने पर अमीन के विनियोजन (Deputation) का परिव्यय.....रु०

योग.....रु०

---

*इस घोषणा में समय, नीलाम का स्थान, नीलाम की जाने वाली सम्पत्ति और कुर्की तथा नीलाम के परिव्यय सहित वसूल की जाने वाली मालगुजारी की धनराशि का नीलाम न होने पर जमीन के प्रतिनियोजन (Deputation) के परिव्ययों की धनराशि निर्दिष्ट की जायेगी तथा सिविल प्रोसीजर कोड की प्रथम अनुसूची के आर्डर 21 के नियम 16 के अधीन अपेक्षित अन्य ब्यौरे भी उचित रूप से और सही-सही दिये जायेंगे।